



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102020-222370
CG-DL-E-12102020-222370

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3125]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 12, 2020/आश्विन 20, 1942

No. 3125]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2020/ASVINA 20, 1942

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3518(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में टूण्डला टर्मिनल से कानपुर टर्मिनल तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन

लिमिटेड पाइपलाइन्स प्रभाग, निर्माण कार्यालय, उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइन्स, टूण्डला - गौरिया पाइपलाइन परियोजना, ई-160, प्रथम व द्वितीय तल, कमला नगर, आगरा (यू.पी.) – 282004 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील: करहल

जिला: मैनपुरी

राज्य – उत्तर प्रदेश

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1.	नगला साहब	25	00	02	00
		24	00	11	58
		22	00	00	22
		56	00	38	55
		48	00	09	09
		53	00	00	10
		52	00	03	05
		47	00	03	21
		51	00	01	46
		46	00	00	35
		236	00	00	10
		239	00	03	08
		240	00	05	14
		241	00	08	16
		243	00	10	13
		244	00	04	31
		242	00	03	20
		134	00	02	74
		257	00	13	96
		235	00	01	95
		140	00	00	46
		133	00	00	40
		234	00	00	17
		260	00	03	01
		258	00	03	93
		259	00	00	80

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	नगला साहब	256	00	00	43
		253	00	00	48
		263	00	17	28
		268	00	07	79
		271	00	00	16
		273	00	12	65
		285	00	11	55
		283	00	01	32
		389	00	12	13
		390	00	19	87
		547/404	00	00	44
		403	00	03	21
		402	00	01	10
		401	00	06	25
		549/400	00	08	83
		400	00	02	43
		425	00	04	21
		438	00	07	43
		439	00	01	14
		442	00	01	02
		444	00	01	68

[फा. सं. आर-11025(11)/20/2018-ओआर-1/ई-27595]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2020

S.O. 3518(E).— Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Tundla Terminal to Kanpur Terminal should be laid by Indian Oil Corporation Limited. And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the General Public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited (Pipelines Division), Construction Office, Northern Region Pipelines, Tundla-Gawria Pipeline Project, E-160, 1st & 2nd floor, Kamla Nagar, Agra (U.P.) – 282 004.

SCHEDULE**Tehsil:- Karhal****District:- Mainpuri****State :- Uttar Pradesh**

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1.	Nagla Sahab	25	00	02	00
		24	00	11	58
		22	00	00	22
		56	00	38	55
		48	00	09	09
		53	00	00	10
		52	00	03	05
		47	00	03	21
		51	00	01	46
		46	00	00	35
		236	00	00	10
		239	00	03	08
		240	00	05	14
		241	00	08	16
		243	00	10	13
		244	00	04	31
		242	00	03	20
		134	00	02	74
		257	00	13	96
		235	00	01	95
		140	00	00	46
		133	00	00	40
		234	00	00	17
		260	00	03	01
		258	00	03	93
		259	00	00	80
		256	00	00	43
		253	00	00	48
		263	00	17	28
		268	00	07	79
		271	00	00	16
		273	00	12	65
		285	00	11	55
		283	00	01	32
		389	00	12	13
		390	00	19	87
		547/404	00	00	44
		403	00	03	21
		402	00	01	10
		401	00	06	25
		549/400	00	08	83
		400	00	02	43
		425	00	04	21
		438	00	07	43

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
	Nagla Sahab	439	00	01	14
		442	00	01	02
		444	00	01	68

[F. No. R-11025(11)/20/2018-OR-I/E-27595]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.